Seventeenth Loksabha

an>

Title: The Speaker made references to the passing away of Shri S. Singaravadivel, Member of the Sixth, Seventh, Eighth and Ninth Lok Sabhas; Shri H.B. Patil, Member of the Eighth Lok Sabha; and Shri Hemanand Biswal, Member of the Fifteenth Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : मैं सभा के अपने तीन पूर्व साथियों के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूँ ।

श्री एस. सिंगरवादिवेल तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोकसभा के सदस्य थे । वे लोक लेखा समिति और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे ।

श्री एस. सिंगरवादिवेल का निधन 87 वर्ष की आयु में 31 जनवरी, 2022 को तंजावुर में हुआ ।

श्री एच. बी. पाटील कर्नाटक के बागलकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं लोकसभा के सदस्य थे । श्री पाटील याचिका समिति के सदस्य रहे ।

श्री एच. बी. पाटील का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी, 2022 को बागलकोट में हुआ ।

श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के सुंदरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने श्रम संबंधी समिति के सभापति के रूप में तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया । एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे । वे छ: कार्यकालों तक ओडिशा विधान सभा के सदस्य भी रहे ।

श्री हेमानंद बिस्वाल का निधन 82 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 2022 को भुवनेश्वर में हुआ ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है ।

The Members then stood in silence for a short while.

11.06 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 161, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ।

(Q. 161)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन ': माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में 15वें वित आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा माँगा था । पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि 15वें वित आयोग ने एक अनुशंसा की कि 17 ऐसे राज्य हैं, जहाँ रेवेन्यू डेफिसिट है । उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । अब रेवेन्यू डेफिसिट वहां होता है, जहाँ वितीय कुप्रबंधन है । जिन राज्यों में वितीय कुशलता है और फाइनैंशियल मैनेजमेंट बेटर है, उन राज्यों को इस स्पेशल ग्रांट से वंचित कर दिया गया । जो हमारी समझ से फाइनैंशियल मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देता है । लेकिन, फिर भी हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को भरपूर मदद की । प्रधानमंत्री जी के हाथ में जितना संभव था, उतना उन्होंने मदद की । लेकिन, उसके बावजूद भी जो विकासशील राज्य हैं, उन पर आर्थिक बोझ पड़ा । बिहार जैसे प्रदेश में भी वर्ष 2019-20 और 2020-21 में फाइनैंस रेवेन्यू डेफिसिट हुआ ।

हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या उसी तर्ज पर बिहार के इन दो वर्षों का, यानी वर्ष 2019-20 और 2020-21 का जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उस पर क्या आप स्पेशल ग्रांट देने पर विचार करेंगे?

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड काल की बात माननीय सदस्य ने की है । हम सब को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हृदय बड़ा करके एक बहुत बड़ा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देने का काम किया । इससे सभी प्रदेशों को लाभ पहुँचाने का काम किया गया । इसी के अंतर्गत बिहार में भी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को अभूतपूर्व सहायता दी गई । जिन मुद्दों के अंतर्गत बिहार राज्य को कोविड के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की गई, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, पीएम जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक योजना, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान योजना, जिला खनिज योजना इत्यादि है । उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2021-22 में बिहार में लगभग 1136 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया । माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार के प्रति हमेशा चिंता रहती है । इसके पूर्व में भी सवा लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया गया । अगर हम पिछली सरकारों की तुलना करें, वर्ष 2009 से 2014 और वर्ष 2014 से 2019 की तुलना करें तो टैक्स ट्रांसफर में करीब 107 परसेंट की वृद्धि हुई है । वहीं पर अगर हम वितीय अनुदान की बात करें तो 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार ने बिहार के आर्थिक विकास और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन ': अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल था और प्वाइंटेड सवाल था, जो रेवेन्यू डेफिसिट पर था । आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को मदद कर रहे हैं । कोविड काल में भी उन्होंने मदद की, यह मैंने खुद ही कहा और उन्होंने भरपूर मदद की । हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल पूछा था कि जो 17 फाइनैंशियल मिसमैनेजमेंट वाले स्टेटस हैं, उनको आपने 2,94,514 करोड़ रुपये का स्पेशल ग्रांट दिया । बिहार जैसे प्रदेश को सारी मदद देने के बावजूद भी अगर आज बिहार का विकास दोहरे अंक का है तो वह अपने संसाधनों के बल पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मदद की है, उसके बल पर है । लेकिन, हमारा सीधा सवाल था कि

कोविड काल में जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, उसके लिए आप उसी तर्ज पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसका उतर नहीं मिला ।

खैर, मेरा दूसरा सवाल है कि 15वें वित आयोग ने ही स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए अनुशंसा की है । स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स में बिहार के आठ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया । उनके लिए लगभग 2,200 करोड़ रुपये के प्रावधान की अनुशंसा की गई है । मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या आप उस तर्ज पर बिहार को भी स्पेशल इंसेंटिव देंगे? दूसरा, आठ परियोजनाओं पर जो अनुशंसा 15वें वित्त आयोग ने की है, उन योजनाओं को स्वीकृति और राज्य सरकार को उसकी राशि कब उपलब्ध कराई जाएगी?

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग ने बिहार सहित सभी राज्यों को विभिन्न प्रकार की निधियों का स्थान्तरण करने के बारे में इन राज्यों की पात्रता के आधार पर सिफारिश की है । 15वें वित्त आयोग, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिश की गई धनराशि को चार मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो इस तरह है, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान, ग्रामीण स्थानीय अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी अनुदान और राष्ट्र पर जब आपदा पड़ती है, तो उसके लिए जब जोखिम भरा समय होता है, तो डिमांड के आधार पर सहायता की जाती है ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 162, श्री सदाशिव किसान लोखंडे ।

(Q. 162)

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : देश में बच्चे मजदूरी का काम करते हैं । देश के जो मजदूर हैं, अकुशल कामगार हैं या खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं । उसका एकमेव कारण है कि जो मजदूर है, अकुशल कामगार है, उसके पिता जी दिन भर काम करते हैं और उनको जो पैसा मिलता है, वे उसे शराब पर खर्च कर देते हैं । इस वजह से वे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं । मेरा कहना है कि जो बच्चे अकुशल कामगार हैं, खेती में काम करने वाले हैं, क्या उन बच्चों के लिए शासन कुछ काम करने वाला है? मेरा अकुशल बच्चों के संबंध में प्रश्न है कि इन बच्चों के लिए क्या शासन कुछ करने वाला है?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, अकुशल क्षेत्र में जो हमारे कारीगर काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान है, उसके अंतर्गत वैसी ही कार्यवाही की जा रही है । उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए, मिड-डे-मील, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स से लेकर हॉस्टल की व्यवस्था भी समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है ।

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : ये जो बच्चे हैं, उन अकुशल कामगारों के लिए मेरा एक सुझाव है । उनके पिता जी दिन भर काम करते हैं, रात में आते समय फुल दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद उनके घर में जो पैसा आने वाला था, वह पैसा नहीं आता है । पैसा नहीं आने से जो उसकी माता है, जो

घर में काम करने वाली है, उसको तकलीफ होती है तो वे बच्चों से बाल मजदूरी कराती है । वे उनको पढ़ाई के लिए स्कूल में नहीं भेजते हैं । स्कूल में जाने वाले बच्चों को वे हॉस्टल में रखना चाहते हैं । मेरा प्रश्न है कि वे बाल मजदूर न बनें और उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या शासन कोई प्रावधान करने वाला है? वे बाल कामगार न बनें और उन्हें देश की मुख्य धारा में लाया जाए, क्या इसके लिए शासन प्रयत्न करेगा?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्कीम चल रही है । मैंने पूर्व में उत्तर में भी बताया है । मैं माननीय सदस्य महोदय को सारी स्कीम्स की जानकारी भेज दूंगा ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Thank you very much, Sir. It is a very important subject. It is very unfortunate that the hon. Minister has said that there is no data available with the Government in this regard. It is a very, very sensitive thing when we have a Prime Minister who speaks about data-driven programmes. That the Government is not having data with regard to child labour is very unfortunate.

I would like to bring a very important issue to your notice which is with regard to the National Child Labour Project (NCLP). The Government of India has not released the requisite fund particularly to the State of Tamil Nadu. A total number of 4314 children are studying in various schools in districts like Virudhunagar, Dharmapuri, Tiruppur, Coimbatore and Salem. The Government of India has not released the money since 2016.

I would like to ask the hon. Minister when that money will be released. A stipend of only Rs.400 is given to the students. The Government is not releasing that too, which is very, very unfortunate.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मूल प्रश्न यह था कि जो बच्चे अपने परिवार में मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनका डाटा एवेलबल है? यह डाटा डायनेमिक डाटा होता है इसलिए इस प्रकार का डाटा किसी भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता है । कुछ बच्चे अपने पारिवारिक संस्थानों में भी कार्य करते हैं, यह बाल मजदूर के लिए डाटा नहीं था, समग्र डाटा था । जहां तक बाल श्रम के डाटा की बात है, बाल श्रम का डाटा एनसीआरबी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है । मैं माननीय सदस्य को इसे उपलब्ध भी करा सकता हूं ।

जहां तक एनसीएलबी की बात है, वह प्रोग्राम इस समय समग्र शिक्षा के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है । भारत सरकार के द्वारा श्रम मंत्रालय में पेन्सिल नाम से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें पिछले दो वर्षों में तीन हजार से ज्यादा कम्पलेंट्स आई हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है । लेकिन बाल श्रम में शिक्षा और बाकी के जो विषय हैं, वह सारा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान में ले लिया गया है ।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I have gone through the written reply given by the hon. Minister. I must say with respect that it is really an evasive reply. Just now he said that the data is dynamic. Somewhere it is static. Then, he has not said where that data is.

Now, I tell you the data. One out of ten children is in child labour in India. It is rising for the first time in 20 years. Nine million more children are at risk of being forced into child labour by the end of 2022 as a result of the pandemic. The closure of 1.5 million schools due to the pandemic and lockdowns in India has impacted 247 million children enrolled in elementary and secondary schools, and added to the risk of many of them slipping into child labour and unsafe migration. I understand that there are certain Acts. No doubt, if these Acts are fully implemented, these children cannot go into it, but these children also need to earn a livelihood, at least, for their parents. Now, what is the scheme? What do you want to do? If you want to stop child labour and want that they should not go to job at all, then you have to give substitutes to the families of those children. What have you done for that purpose? This is what I would like to know from the hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चाइल्ड लेबर का प्रश्न है और उसकी रोकथाम की बात है, सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने एक टास्क फोर्स बनायी है और टास्क फोर्स की अध्यक्षता जिला कलैक्टर द्वारा की जाती है । चाइल्ड लेबर के जो केसेज रजिस्टर्ड होते हैं, उसका डाटा मेरे पास उपलब्ध है ।

इसे पूर्व में भी दिया गया है । जहां तक चाइल्ड लेबर की बात है, ऐसे कार्य जो हैज़र्डस हैं, उसमें बाल मजदूर काम नहीं कर सकते हैं । उसके अतिरिक्त भी सरकार वर्ष 2016 में संशोधन लेकर आई थी, जो हैज़र्डस काम नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हैं, उसमें भी बाल श्रम काम नहीं कर सकते हैं । लेकिन पारिवारिक संस्थानों के अंतर्गत जैसे आपकी कॉन्स्टीट्यूएंसी है, उसमें सोला वुड का काम होता है, उसमें पारिवारिक बच्चे काम करते हैं । यह बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है । जो देश की सामाजिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से डाटा बहुत व्यापक है, सभी को बाल मजदूर नहीं माना जाता है । लेकिन बाल श्रमिकों के ऊपर जो कार्रवाई करने का विषय है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, वह डाटा पूरी तरह से उपलब्ध है । मूल प्रश्न यह है कि जो बालक अपने परिवार में पढ़ाई के अतिरिक्त काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई डाटा है, यह जवाब केवल उस संदर्भ में है । बाल श्रमिक की जो कार्रवाई का डाटा है वह पहले ही मैं सदन के पटल पर अन्य प्रश्नों में दे चुका हूं ।

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि ये डाटा उपलब्ध नहीं है । लेकिन अभी जैसा कुछ और सदस्यों ने अपनी बात रखी है, कितने बच्चे पैनडमिक की वजह से या अन्य मजबूरियों के कारण बाल मजदूरी की तरफ धकेल दिए गए हैं । क्या सरकार ने इस पर कोई रिसर्च किया है कि कितने बच्चे पैनडमिक की वजह से बाल मजदूरी में धकेल दिए गए हैं?

यदि उसका कोई डाटा है तो सरकार ने ऐसी कौन सी स्कीम लांच की है, जिसके जरिए इन बच्चों को पुन: वापस स्कूलों की तरफ लेकर जाएं ताकि उनका जो पिछले दो सालों से शिक्षा का लॉस हुआ है, फिर से उसकी भरपाई की जा सके और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वापस मुख्यधारा में जोड़ा जा सके ।

श्री भूपेन्द्र यादव: कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की थी । उस समय एनसीएलपी के प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने पूरे मानदंडों का पालन नहीं किया था, उनको भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई थी । इसके लिए जिला अधिकारियों के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनको समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जाता है । इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा एक पेंसिल पोर्टल का निर्माण किया गया है । इस पेंसिल पोर्टल के अंतर्गत जो शिकायतें आती हैं, उनका संबंधित अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया जाता है ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 163, सुश्री सुनीता दुग्गल ।

(Q. 163)

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल किया है, उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है । सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया है, मैं पूछना चाहती हूं कि विशेषकर हरियाणा और अन्य राज्यों की क्या प्रोग्रेस है? सरकार की तरफ से इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को पांच लाख वीज़ा नि:शुल्क देने का प्रावधान किया है । ऐसे कितने अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट्स ने इंडिया में विजिट किया है और उनकी संख्या कितनी है?

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, टूरिज्म सबसे बड़ा सैक्टर है जो कि कोविड के कारण अफेक्ट हुआ है । आपको मालूम है कि देश में 180 करोड़ 14 लाख वैक्सीनेशन हुआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बना है । अगर दुनिया के अन्य देशों से कम्पेयर करें तो 10 परसेंट वैक्सीनेशन भारत में हुआ है और इसके कारण आज टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है । हम इस महीने 27 तारीख को इंटरनेशनल टूरिज्म में फ्लाइट्स खोलने वाले हैं ।

भारत सरकार की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे स्वदेशी दर्शन के द्वारा हो या सैंट्रल फाइनेंशियल फंड के द्वारा हो । मेरी भी कुछ कार्यक्रमों में भागीदारी थी, कुरुक्षेत्र में भी थी । इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं ।

दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कोरोना के संदर्भ में कितने वीज़ा दिए गए? कोरोना के बाद ई-वीज़ा इश्यू किए गए । भारत में 15 अगस्त, 2021 से वीज़ा शुरू हुआ है और 7 मार्च तक लगभग रैगुलर टूरिस्ट वीज़ा 51,916 और ई-वीजा 1,05,916 दिए गए । कोरोना के बाद भारत में 1,57,662 वीज़ा विदेशी पर्यटकों को दिया गया ।

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऑस्ट्रिया के महामहिम को रात को ढाई बजे रिसीव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि लोकल स्टेट्स टूरिज्म को

बढ़ावा देना चाहिए । आप विश्वास कीजिए कि वहां ढोल की थाप पर कम से कम पांच से दस मिनट तक ऑस्ट्रिया के महामहिम एन्जॉए करते रहे । अगर हम इस तरह से लोकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे तो इससे भारत के टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलेगी ।

माननीय अध्यक्ष: आप ढोल की थाप कैसे ठीक करोगे ।

… (व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, हम भारत सरकार की ओर से अलग-अलग टूरिज्म देश में इम्पलीमेंट कर रहे हैं । इसमें हेरिटेज, हिस्टॉरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, फेस्टिवल, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, वैलनेस, ईको, रूरल, रिस्पांसिबल, मेडिकल टूरिज्म आदि हैं । मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में भारत का दुनिया में 52 रैंक था । अभी 52 वें रैंक से आगे बढ़कर पांच सालों के अंदर वर्ष 2019 में 34 वें रैंक पर आ गया है । लगभग 20 देशों को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ा है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वह भारतीय संस्कृति और भारतीय गांव का जो हैरिटेज और कल्चर है, जैसा आदरणीय सांसद महोदया ने बताया है, उसके हिसाब से सरकार आगे के लिए प्लान करेगी ।

DR. FAROOQ ABDULLAH: Speaker Sir, thank you for giving me the privilege of asking a question on tourism. It is good that in our country, tourism is increasing, but one of the most important factors, which reduces the tourists, is the fare that the airlines are charging. There should be a control on airlines charge, whether it is Kashmir, whether it is Ladakh or whether it is other parts of India which are full of tourist spots, so that people in the country can afford to come to these destinations. This is number one.

Secondly, what I would like to ask is this. What is the possibility of reducing the charges that are made by the Government on the tourists in various sectors like hotels or in the other things? Is Government of India deciding to reduce that charge, so that more people can afford to come into these destinations?

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे सीनियर मेम्बर फारूख अब्दुल्ला ने बताया है, उसके बारे में भारत सरकार ने जरूर सोचा है । जो फ्लाइट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन्स से जाती हैं, उनके लिए हम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उड़ान स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी देते हैं । जितने भी टूरिस्ट्स जाते हैं, वे कम रेट पर जाएं और हवाई चप्पल पहने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से जाए, यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा है । इसी दृष्टिकोण से गरीब लोग जो टूरिज्म के लिए जाते हैं, हम उनको भारत सरकार द्वारा 'उड़ान स्कीम 'के अंतर्गत सब्सिडी देते हैं ।

दूसरा, जितने भी टूरिस्ट्स विदेशों से आते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने पांच लाख वीजाज़ फ्री चार्ज पर देने के लिए तय किया है । आपने जो समस्या उठाई है, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे ।

कुछ होटल्स तो इंडिपेंडेंट हैं । मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समर सीजन में, अप्रैल-मई महीने में देश में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स हैं, उनके लिए पूरे रूम्स बुक हो चुके हैं । अभी बहुत ज्यादा डिमांड है । आने वाले दिनों में भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि हर परिवार को कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स घूमना चाहिए, उस दृष्टिकाण से भी भारत सरकार काम कर रही है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप यह भी बता देते कि जम्मू-कश्मीर में इस बार 300 से ज्यादा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स गए हैं । मैं खुद भी गया हूं ।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है । यह आपकी मेहरबानी से हुआ है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शारजाह की फ्लाइट जो कश्मीर से जाती थी, उसको मेहरबानी करके फिर से शुरू करवाइए ।

PROF. SOUGATA RAY : The Minister has given a very long reply, but I do not know if he has studied the question before giving the reply. The question relates to negative growth in the tourism sector. The Minister's reply deals with how they are developing rural tourism, then how they are developing wellness tourism, without taking into consideration the holistic policy of tourism. What I want to know from the hon. Minister is this. You said that there is a negative growth. What are the numbers in terms of tourists from abroad in 2020, 2021, and up to February, 2022? What is your target for the coming Financial Year in respect of the foreign tourists? Farooq *Sahib* has said that fares are very high. A new thing is happening now. Today I saw in the papers that domestic airfares will go up and foreign airfares will come down. What is the policy? Does the Government have any policy to really raise the number of tourists travelling within the country or coming from outside?

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में टूरिज्म इकोनॉमी बहुत सारी समस्याएं फेस कर रही है । इस दौरान टूरिज्म इकोनॉमी बहुत कम हुई है । फर्स्ट फेज में 42.8 प्रतिशत इकोनॉमी कम हुई है । दूसरे फेज में 15.5 प्रतिशत और थर्ड फेज में 1.1 प्रतिशत इकोनॉमी कम हुई है । विदेशों से जो टूरिस्ट आते थे, फर्स्ट फेज में 93.3 प्रतिशत टूरिस्ट नहीं आए हैं । दूसरे फेज में 79.5 प्रतिशत और थर्ड फेज में 64.3 प्रतिशत टूरिस्ट कम आए हैं । हमने पूरी स्टडी की है । भारत सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के माध्मय से एक सर्वे करवाया है । मैं उस सर्वे के आधार पर बोलना चाहता हूं कि जॉब लॉसेज भी हुआ है । कोरोना की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में टूरिज्म के दृष्टिकोण से जॉब लॉसेज हुआ है । इसमें 14.5 मिलियन जॉब्स का नुकसान हुआ है । सेकेंड फेज में 5.2 मिलियन और थर्ड फेज में 1.8 मिलियन जॉब लॉसेज हुआ है । इस पैनेडेमिक से पहले भारत में 34.8 मिलियन जॉब्स टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर रहती थी । अब वह कम हो गई है । इसीलिए भारत सरकार promotion of domestic tourism, diverting outbound tourists to domestic tourist trips, target to incentivise industries contributing most to tourism economy,

provide tax benefits, subsidies and income to industry players इत्यादि पर काम कर रही है । मैं यह बताना चाहता हूं कि जो टूरिस्ट डिवीजन है, वह राज्य सरकार के पास है, वह केन्द्र सरकार के पास नहीं है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए । कुछ राज्यों ने इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है । मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने दिया है । मैं इस सदन के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस का दर्जा दिया जाए । **...**(व्यवधान**)**

प्रो. सौगत राय : इसका प्रोजेक्शन क्या है? यह कब बढ़ेगा?... (व्यवधान) आप देखिए कि बहुत जॉब लॉसेज हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष : पूरे विश्व में जॉब लॉसेज हुआ है ।

... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I appreciate that the Minister is concerned about the well-being of tourists, but he has also got to pay some attention to the well-being of the people in India who have to run the services that tourists use.

For example, in my State, the Contract Carriage Association who run tourist busses have been begging for the last two years of the COVID-19 pandemic to please reduce the tax by 30 per cent, but nothing has been done neither by the State Government nor by the Central Government. Now, the result is that these people are selling their tourist busses below price because they cannot make a living.

Now, we are talking about improving tourism. How about the Indians who need to be helped at a time when unemployment is high, economy is going down, and we are not doing enough to support our people in order to be able to welcome tourists more effectively?

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, कोरोना के कारण टूर एंड ट्रैवलर्स पर जो इफेक्ट पड़ा है, भारत सरकार के रेक्गनेशन में जो भी टूर एंड ट्रैवलर्स हैं, भारत सरकार उन सभी को 10-10 लाख रुपये बिना ब्याज के देना चाहती है । उसके साथ-साथ जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, भारत सरकार ने उनको भी 1-1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह राज्य सरकार का विषय है, फिर भी भारत सरकार की तरफ से जितना कुछ हो सकता है, हम राज्य सरकारों को उतना सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं । इसीलिए मैं इस दृष्टिकोण से सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनके यहां पर अलग-अलग पॉलिसीज़ बननी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 164, श्री रविन्दर कुशवाहा ।

(Q. 164)

श्री रविन्दर कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री श्री धमेन्द्र प्रधान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और मेरा प्रश्न भी उन्हीं के लिए है । चूंकि अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कार्य किया है और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आई है । इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आपका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आईआईटी, वाराणसी और निगाता यूनिवर्सिटी, जापान है, इन दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर संयुक्त अनुसंधान संगोष्ठियों के लिए छात्रों या संकाय सदस्यों के चयन हेतु क्या किसी समिति या बोर्ड का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? इनमें निष्पक्ष चयन हेतु क्या कोई मापदंड बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य की जानकारी सही है । दिनांक 1 फरवरी, 2022 को आईआईटी-बीएचयू और निगाता यूनिवर्सिटी (जापान) के बीच रिसर्च के सेक्टर में एक एमओयू हुआ है । विशेषकर पोस्ट कोरोना चैलेंजे सबके सामने आया है । बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस के ऊपर ऑप्टिक्स इंट्रूमेंटेशन जैसे सारे फ्रंटीयर एरियाज़ में हर एक साल तीन-तीन विद्यार्थी एक साल की अवधि के लिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ के तय शुदा मानक के तहत जाएंगे । उनका खर्चा दोनों युनिवर्सिटी उठाएंगी । जापान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा बहुत भरोसेमंद मित्र है । एमओयू और विशेषकर हमारी जो एनईपी बनी है, एनईपी में दुनिया के क्वालिटेटिव इंस्टीटयूशन्स के साथ भारत के रिसर्च को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने का हमारा इनिशिएटिव है । सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एमओयू करने के लिए स्वतंत्र हैं । इस दिशा में पूर्वांचल का और भारत का एक महत्वपूर्ण इंस्टीटयूट आईआईटी-बीएचयू ने जापान के साथ एमओयू किया है । यह आने वाले दिनों में भारत के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप बहुत देर से खड़ी होकर बात कर रही हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इस सदन में बातचीत ना करें ।

श्री रविन्दर कुशवाहा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के इलाके में जब से यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और हम यह चाहते हैं कि क्या मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शिक्षा का केन्द्र है, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 12बी स्टेटस मिल चुका है तो क्या सरकार किसी अन्य देश के ऐसे ही विश्वविद्यालय के साथ ऐसा ही कोई समझौता करने का विचार रखती है, जिससे गोरखपुर एवं निकटवर्ती जनपदों के छात्रों को भी वैश्विक ज्ञान का लाभ मिल सके? यदि हाँ, तो इसका क्या विवरण है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर आपकी अनुमति है तो मैं इसका विस्तार से उत्तर देना चाहूंगा । उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है । उत्तर प्रदेश पूरे देश की 1/5 पॉपुलेशन की आबादी रखता है और इसका भौगोलिक एरिया भी बहुत बड़ा है । माननीय सदस्य सलेमपुर से आते हैं और उन्होंने गोरखपुर की मदन मोहन मालवीय टेक्निकल युनिवर्सिटी का नाम लिया है । वहां इन दिनों में भारत सरकार के कई तरह के इनिशिएटिव रहे हैं । वहां पर एम्स पहुंचा है । वहां पर स्वास्थ्य, पर्यटन और अर्थनीति के विषय पर बहुत अच्छा काम हो रहा है । रिसर्च की दृष्टि से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की देश के लिए जो प्रतिबद्धता है, उसमें शिक्षा एक प्रमुख अंश है । गोरखपुर पहले से पूर्वांचल का शिक्षापीठ है । उसे 21वीं सदी का एक आधुनिक शिक्षा पीठ बनाने के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी ।

माननीय अध्यक्ष: श्री रवि किशन जी - उपस्थित नहीं ।

श्री गौरव गोगोई जी.

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । यूक्रेन से बहुत से भारत के छात्र आज भारत वापस आए हैं और हम सभी को उनके भविष्य के बारे में चिंता है । विशेष रूप से वे बच्चे जो आज अपनी शिक्षा में पांचवें या छठे सेमेस्टर में हैं, उनके भविष्य की शिक्षा के लिए भारत सरकार वर्तमान में क्या कदम उठा रही है?

माननीय अध्यक्ष: यह तो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा ।

श्री गौरव गोगोई : सर, मेडिकल विभाग भी है और दूसरे भी हैं । अगर इनके पास डिटेल्स हैं तो बता सकते हैं । उनके भविष्य के लिए भारत सरकार, देश के अंदर या यूक्रेन के निकटवर्ती विभिन्न देशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या उनके साथ कोई नीति बनाने या वार्तालाप करने के बारे में सोच रही है, ताकि इन बच्चों के भविष्य में अन्धकार न आए और इनकी शिक्षा पूरे तरीके से सम्पूर्ण हो? शायद इसमें स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्री जी यहां हैं और यह सभी की चिन्ता है । मेरी आशा है कि इस पर शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल पाएंगे । धन्यवाद ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, आपने सही कहा है कि यह एक अलग प्रश्न है । गौरव जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और प्रजातंत्र में कभी-कभी अच्छी बातों को पसन्द भी करना चाहिए । विशेषकर गौरव गोगोई जी जिस विरासत से आते हैं और व्यक्तिगत रूप में मेरी उनसे मित्रता है, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वह, उनकी पार्टी और सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को 'ऑपरेशन गंगा' के लिए बधाई देनी चाहिए । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 'ऑपरेशन गंगा' प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की अपने बच्चों के लिए एक कलेक्टिव विज़डम कैसी होती है, यह उसका प्रमाण है । जब ले ही आए हैं, तो उनके भविष्य के लिए, भारत सरकार उनको सामूहिक रूप में डॉक्टर बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, उनकी चिन्ता करेगी । आप उसमें आश्वस्त रहिए । आज उनको संभालने का और शॉक से निकालने का टाइम है, हम सभी उसी में लगे हैं ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 165, श्री चुन्नीलाल साहू ।

(Q. 165)

श्री चुन्नीलाल साहू : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी और शासकीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के प्रवेश के संबंध में प्रश्न किया था । माननीय मंत्री जी की ओर से जो जवाब आया है, मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

क्या सरकार कक्षा 9 से 12वीं तक सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में, सभी राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने जा रही है और यह कब तक होगा, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रान्तों के विद्यार्थी भी केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि प्रवेश परीक्षाओं में अन्य प्रान्तों के विद्यार्थियों के साथ प्रवेश में सक्षम हो सकें?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 के तहत गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी और गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए जो एक कमिटमेंट है, वह एक सेंट्रली स्पाँशर्ड स्कीम है । इसमें भारत सरकार 60 प्रतिशत देनदारी देती है और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारें देती हैं । यह योजना बड़ी सफलता के साथ देश भर में चल रही है । माननीय सदस्य जिस राज्य से आते हैं – छत्तीसगढ़, वहां भी अभी लगभग 2 लाख 76 हजार विद्यार्थी दो साल से पढ़ रहे हैं । हम धीरे-धीरे ऐसे विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं । हमारी सरकार के वित्त विभाग की एक प्रायरिटी है कि भारत सरकार के जो भी लाभ हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से पहुंचाएं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने एक पूरक प्रश्न पूछा है कि क्या देश भर में एक ही पाठ्यक्रम होगा, शायद यह व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन जो मूल भावना है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क बनाने का काम शुरू हो गया है । सारे राज्य भी अपना-अपना करीकुलम बना ही रहे हैं । इसमें एनईपी का जो एक ग्रेटर फ्रेमवर्क है – 'पढ़ाई के साथ कमाई' – वोकेशनल एजुकेशन और स्किल को महत्व देना, इसमें समानता लाने के लिए काम शुरू हुआ है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत वर्षों के बाद पहली बार भारत सरकार के शिक्षा विभाग का खर्च एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ है । यह सब पैसा इसी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं मे खर्च हो रहा है । भारत सरकार भारत के बच्चों को 21वीं सदी में एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध है ।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । वर्ष 2009 में जब यूपीए की सरकार नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लेकर आई थी और जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, उनमें 25

प्रतिशत आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उससे करोड़ों बच्चों को इस देश में फायदा हुआ है और उनको शिक्षा मिल पाई है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ रही है । वह प्रैक्टिकल समस्या यह है कि जो यह कानून है, यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है । जब बच्चा 9 वीं क्लास में पहुंचता है और वह किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है तो स्कूल उनको यह कहता है कि 10 वीं क्लास से या तो आप फीस दीजिए या अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए । वह जो मां-बाप हैं, उनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस देने की क्षमता नही है और 9 वीं क्लास में अगर वह अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में लेकर जाते हैं तो वहां पर उस बच्चे का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है । मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो यह कानून है, इसमें संशोधन करके नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कीजिए, जिससे जो बच्चा नर्सरी में भर्ती होता है, वह 12 वीं क्लास तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके । यह मेरा सुझाव है ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, देर से ही सही, यूपीए का वर्ष 2009 का क्रेडिट उन्होंने लिया । वह एक अष्टवक्र कानून लाए, यह उन्होंने आज स्वीकार किया । मनीष जी, प्रामाणिक आदमी हैं, उनको धन्यवाद है । वह पार्टी के बारे में भी बीच-बीच में दिल की बात अच्छी बोल देते हैं । उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 वाला कानून पर्याप्त नहीं था, मैं भी एज ए पार्लियामेंट सदस्य, एज ए पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट उसको स्वीकार करता हूं । उसमें 8 वीं के बाद वह समस्या आती है । शिक्षा राज्य का विषय है । कन्करेंट लिस्ट में प्राथमिक शिक्षा राज्य का विषय है । भारत सरकार अपनी देनदारी देती है । कुछ निजी विद्यालय 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पढ़ा देते हैं । कानून में परिवर्तन करने के लिए राज्यों से चर्चा करनी पड़ेगी और शेयरिंग की बात करनी पड़ेगी । यह बात सबके ध्यान में आई है । जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसे हॉलिस्टिक बनाते हैं । यह प्रश्न तो वर्ष 2009 में भी सोचा जा सकता था । … (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : आप अब सोच लीजिए ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : हम कई चीजें सोच रहे हैं । मनीष जी, वित्त मंत्री जी ने इस बार एक लाख करोड़ रुपये दिये हैं और उसके लिए भी धीरे-धीरे सोचेंगे । …(व्यवधान) Raja ji, why are you jumping up? A lot of things will come up. … (*Interruptions*) Kani ji, this is not NEET issue. … (*Interruptions*) I am not yielding to you. Please sit down.
मनीष जी, आपका सुझाव अच्छा है । सदन को मूल विषय को समझना पड़ेगा कि यह राज्य का विषय है । भारत सरकार अपनी जवाबदेही ले रही है । हम इस बार बजट बढ़ाते-बढ़ाते चीजों को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं । …(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, on behalf of my leader Dr. M.K. Stalin, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, I profoundly congratulate the Modi Government, especially Shri Jaishankar who has brought all our students from Ukraine to Chennai. Sir, a problem arises now. These students are not able to complete their medical courses as they

had to come back to Tamil Nadu and other places in India. I would like to ask whether the students hailing from India who had gone to Ukraine for further studies could now be taken to Russia using Prime Minister Modi's clout with the Russian Government. Is it possible to have them admitted in Russian universities so that they can continue their studies? … (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Why not in India?

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि इस पर एक धन्यवाद प्रस्ताव माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : अभी आपको इजाजत नहीं दी है ।

SHRI T. R. BAALU : The same subjects are dealt with in Russian universities. My friend the Minister may kindly answer in affirmative because lives of these students are going to be adversely affected. All the students who have gone from Tamil Nadu are wards of salaried people.

माननीय अध्यक्ष : यह मेडिकल एजुकेशन का विषय है । मेडिकल के स्टूडेंट्स हेल्थ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं । मंत्री जी इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं ।

SHRI T. R. BAALU : He is a senior Minister, Sir.

HON. SPEAKER: No. There is no senior or junior, all Ministers are equal.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 166, श्री कृष्णपालसिंह यादव ।

(Q. 166)

श्री कृष्णपालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर्स कोर्सेज की निर्मिति की है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण ले कर कई युवाओं को कोविड पेशेंट्स की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है एवं उनको रोजगार भी उपलब्ध हुआ है । माननीय मंत्री जी कोविड काल में, जब पेट्रोलियम मंत्री थे, तब भी मेरे क्षेत्र को काफी राहत दी थी । वहां पर सीएसआर फंड से ऑक्सीजन प्लांट्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स जैसी काफी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री कृष्णपालसिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी, कोविड वॉरियर्स कोर्सेज लगभग पूरे देश में चालू हुए । मध्य प्रदेश में करीब 130 कोर्सेज चालू हुए, पर मेरे लोक सभा क्षेत्र में गुना और अशोक नगर, जो कि ग्रामीण इलाका है, वहां पर इस तरह के कोर्सेज चालू नहीं हुए हैं, तो माननीय मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि गुना आकांक्षी जिला है और अशोक नगर ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में कोविड वॉरियर्स कोर्सेज के लिए स्किल सेंटर्स खोलने का क्या आपका कोई विचार है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि देश भर के लिए हमारा टारगेट था कि हम लोग दो लाख कोविड वॉरियर्स क्रैश कोर्सेज शुरू करें । उसमें अंत तक ऑनजॉब वाले ट्रेनिंग कोर्सेज थे । 1,18,386 कैंडिडेट्स सफलता के साथ ट्रेंड हो चुके हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में 130 सेंटर्स में 10,718 कैंडिडेट्स हैं । माननीय सदस्य ने गुना जिले के बारे में कहा है । गुना जिले में दो सेंटर्स में 208 नौजवानों को ऑनजॉब ट्रेनिंग दी गई है । वह इमर्जेंसी की व्यस्था के लिए था । धीरे-धीरे हम लोग आगे एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बना कर जिले की जो आवश्यकता है और जिले से लोग जहां काम कर रहे थे, उस प्रकार की स्किलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आपका सुझाव सही है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना कर उनके सुझाव के आधार पर काउंसिलिंग कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा ।

माननीय सदस्य, क्या आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री कृष्णपालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई युवाओं की प्रतिभाओं को निखारा गया है, उन्हें कई कोर्सेज से रोजगार भी उपलब्ध हुआ है और ऐसे रोजगार मेले हर जिले में लगातार लगते हैं । शायद सभी माननीय सांसद उन मेलों में जाते हैं । मैं अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

अभी सरकारी अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में सेफ्टी ऑडिट की बहुत जरूरत है । कई बार देखने में आया है कि आइसीयू, इमर्जेंसी वार्ड्स में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण कई जगहों पर कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या कोविड सेंटर्स उन हॉस्पिट्ल्स की सेफ्टी ऑडिट, आवश्यक टेक्निशियंस के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोविड वॉरियर्स कोर्सेज में कुछ ऐसा प्रावधान करने का विचार है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया है । जैसे-जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के सामने यह चैलेंज आया कि हॉस्पिटल्स, इक्वीप्मेंट्स, ऑक्सीजन, इस प्रकार की नई-नई चीजें आ रही हैं, तो उनकी सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ रही है । उस दृष्टि से भारत सरकार, विशेषकर एनसीवीटी, संबंधित स्टेक होल्डर्स से चर्चा करके हम नए-नए कोर्सेज बना रहे हैं । यह एक डायनैमिक प्रोसेस है । मेडिकल सेफ्टी, मेडिकल इक्विप्मेंट्स और हॉस्पिटल्स की सेफ्टी सिक्यूरिटी की ऑडिट के लिए जो स्किल चाहिए, हम उन कोर्सेज को भी खोलना चाहेंगे ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सरकार ने कोविड वॉरियर्स के क्रैश कोर्स के लिए एक अच्छी योजना बनाई है । पिछले दो वर्षों में हमने देखा है कि कोविड वॉरियर्स के साथ-साथ आशा वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है । पूरे देश में उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है । आज वे एडहॉक बेसिस पर कार्यरत हैं । उनकी सेवा रेगुलर हो और उनका पे-स्केल बढ़े, इसके लिए वे लोग बहुत वर्षों मांग कर रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कोर्स में कितनी आशा वर्कर्स ने एनरोल किया है? क्या सरकार इस कोर्स के माध्यम से आशा वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड री-स्किलिंग या अप-स्किलिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी ताकि उनको कोई गेन-फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 1 लाख 18 हजार 386 ऑन जॉब ट्रेंड किए गए, उनमें कितने आशा वर्कर्स हैं, अभी इसके बारे में मेरे पास तथ्य नहीं हैं । इसके बारे में, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा । लेकिन यह बात सही है कि सारे कामों में जो मैनपावर लग रहे हैं, उनकी अप-स्किलिंग या री-स्किलिंग की निरन्तर आवश्यकता है । भारत सरकार की योजनाएं उस दिशा में काम कर रही हैं ।

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहनभाई कुंडारिया - उपस्थित नहीं । श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा ।

(Q.167)

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वन्यजीवों द्वारा फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाए जाने की संख्या में पिछले काफी समय से वृद्धि हुई है । सरकार द्वारा किसानों और उनके परिवार को नुकसान का मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस समस्या के समाधान और मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके ऊपर विचार किया जाएगा या नहीं?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्यजीवों के द्वारा दो तरह के नुकसान होते हैं । एक, सामान्य रूप से जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, मैन-ह्युमन कांफ्लिक्ट के कारण वहाँ पर उनकी जान को खतरा होता है या दुर्घटना के कारण वे घायल होते हैं, तो उसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया जाता है । ऐसी स्थिति में यदि किसी की मृत्यु होती है तो पाँच लाख रुपए और ग्रिवियस इंजुरी होती है तो दो लाख रुपए और माइनर इंजुरी होती है तो घटना के हिसाब से राशि दी जाती है । अन्य राज्य सरकारों के द्वारा इसके लिए एडिशनल राशि भी दी जाती है, लेकिन जहाँ तक फसलों के नुकसान की बात है, तो फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के

अंतर्गत फसलों के नुकसान की राशि प्रदान की जाती है, जो मुख्यत: राज्य सरकारों के द्वारा ही वितरित की जाती है ।

SHRI A. RAJA : In my constituency Nilgiris, human-wildlife conflict is a big issue. I have come across one incident in which, within one month, three persons were attacked by the tigers and consequently they lost their lives. So, people's lives are at risk. As per the Government's advisory, if any direction has to be given or a final decision has to be taken, the Chief Wildlife Warden of the State concerned has to go to the area, and discuss with the Collector, Gram Panchayat, and the District Forest Officer. It takes a number of days to arrive at the final decision. In the meanwhile, we may lose innocent lives.

My humble suggestion is whenever a new advisory is to be issued, the local District Collector, District Magistrate, and the District Forest Officer in consultation with the Gram Panchayat should take the decision as to whether such an animal has to be removed from the area or relocated to some other area. At present the authority to take such a decision is with the Government. The Government official has to go to the remote areas.

My constituency is 300 kms. away from Chennai. The Chief Wildlife Warden, the Chief Conservator of Forest, and the Forest Secretary have to go and have a discussion with the Chief District Forest Officer and then they take a decision. This whole process takes minimum 15 days, and in the meanwhile, a lot of people may be losing their lives. So, this is a serious issue which must be addressed properly. A new Advisory may be issued in this regard.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 2021 में हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की थी, उसमें यह कहा गया था कि जहाँ पर कांफ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर एडहॉक राशि तुरन्त उपलब्ध करा दी जाए ताकि मरने वाले के आश्रितों को तुरन्त राशि मिले और बाद में उसका निष्पादन होता रहे । इसके लिए हमने स्टेट लेवल पर एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है । अगर तमिलनाडु के संबंध में कोई बात है, तो हम तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात करेंगे कि वह इतना इन-इफेक्टिव क्यों है ।

SHRI A. RAJA: Let there be guidelines in this regard…. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जंगली जानवरों से फसलों को जो नुकसान होता है, उसके लिए भी एक विस्तृत गाइडलाइन होनी चाहिए । आपने उत्तर में लिखा है कि जंगली जानवरों से जो फसलों को नुकसान होता है, उसकी गाइडलाइन के लिए आपने ग्राम पंचायत को अधिकार दिए हैं, उसकी एक व्यापक गाइडलाइन पुन: सभी प्रदेशों को चली जाए ।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से मंत्रालय इसकी गाइडलाइन को जारी करेगी ।

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 168 to 180

Unstarred Question Nos. 1841 to 2070)

(Page No. 50 to 714)

-

-

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त ।

12.00 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)